प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– 241/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 10-02-,2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/ पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2/2022/03/2022–17–1002(002)/3/2022 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में पुरूष वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख (रू0 चार करोड़ इक्यावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (150) पर अंकित है।

भवदीय,

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– 241/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 10-02-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2/2022/03/2022–17–1002(002)/3/2022 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में पुरूष वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख (रू0 चार करोड़ इक्यावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (150) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 241 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
8 कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-TALAB NIRMAN ON PVT LAND MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	295700 13091700	295700 13091700
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	168000 2626000	168000 2626000
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	54600 3604600	54600 3604600
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	188200 2760400	188200 2760400
5	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	352800 4478800	352800 4478800
6	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	856800 24041980	856800 24041980
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	954400 11342430	954400 11342430
8	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	555100 845340	555100 845340
9	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	176400 4992400	176400 4992400
10	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	235200 2311200	235200 2311200
11	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	159600 5098600	159600 5098600
12	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	50400 2415920	50400 2415920
13	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	126000 1971000	126000 1971000
14	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	120100 779100	120100 779100
15	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	419600 4714520	419600 4714520
16	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	383200 2802600	383200 2802600
17	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 5979080	168000 5979080
18	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	108200 3526200	108200 3526200
19	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	500800 3489200	500800 3489200
20	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	126000 2357000	126000 2357000
21	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	201600 1536960	201600 1536960
22	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	119300 1418180	119300 1418180
23	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 3753400	336000 3753400
24	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	420000 774000	420000 774000
25	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	268800 2546800	268800 2546800
26	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	210000 7082240	210000 7082240
27	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	420000 8561800	420000 8561800
28	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	537600 13531600	537600 13531600
29	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	588000 16238000	588000 16238000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1077700 23020380	1077700 23020380
31	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	235200 4180000	235200 4180000
32	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	380900 10078700	380900 10078700
33	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	117600 2820600	117600 2820600
34	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72600 20033200	72600 20033200
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	155400 5331440	155400 5331440
36	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	268800 4711320	268800 4711320
37	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	210000 3996000	210000 3996000
38	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	84000 8561200	84000 8561200
39	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	387400 2789800	387400 2789800
40	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1008000 18328280	1008000 18328280
41	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1235800 31589760	1235800 31589760
42	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1092000 6913400	1092000 6913400
43	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	530000 3200000	530000 3200000
44	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	445200 17460700	445200 17460700
45	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	63700 8976050	63700 8976050
46	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	201600 3208050	201600 3208050
47	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	378000 4054040	378000 4054040
48	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	940800 19356800	940800 19356800
49	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 1314000	336000 1314000
50	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1680000 21179280	1680000 21179280
51	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	369600 11635600	369600 11635600
52	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	756000 12773800	756000 12773800
53	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	285600 5527570	285600 5527570
54	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2078300 17957460	2078300 17957460
55	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	134400 1827320	134400 1827320
56	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	201600 2866920	201600 2866920
	योग	वर्तमान प्रगामी	23826600 432362720	23826600 432362720

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख छब्बीस हजार छ: सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस करोड़ तेइस लाख बासठ हजार सात सौ बीस

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KHARE JAL ME TALAB NIRMAN MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	127000 11469430	127000 11469430
	योग	वर्तमान प्रगामी	127000 11469430 .	127000 11469430

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख सत्ताइस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार चार सौ तीस

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-BIOFALAK TALAB NIRMAN MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 13427700	336000 13427700
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	336000 2962000	336000 2962000
3	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 4814800	336000 4814800
4	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	336000 8897800	336000 8897800
5	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	672000 14203600	672000 14203600
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 16574000	336000 16574000
7	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	672000 23692380	672000 23692380
8	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 10414700	336000 10414700
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	672000 20705200	672000 20705200
10	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	672000 19000280	672000 19000280
11	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 7249400	336000 7249400
12	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 18132700	672000 18132700
13	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 4390040	336000 4390040
14	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 20028800	672000 20028800
15	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 2889960	336000 2889960
16	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 21851280	672000 21851280
17	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 18629460	672000 18629460
	योग	वर्तमान प्रगामी	8400000 227864100	8400000 227864100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरासी लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ अठहत्तर लाख चौसठ हजार एक सौ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	2400000 29717960	2400000 29717960
2	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 11230000	3600000 11230000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6000000 40947960	6000000 40947960

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ नौ लाख सैंतालीस हजार नौ सौ साठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 15650000	600000 15650000
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	600000 30317960	600000 30317960
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000 45967960	1200000 45967960

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार नौ सौ साठ

(प्रवीन रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL RAS MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 2572200	180000 2572200
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	180000 2260000	180000 2260000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	180000 21850280	180000 21850280
4	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 18380000	180000 18380000
5	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 19460880	180000 19460880
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 64523360	900000 64523360

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ पैंतालीस लाख तेइस हजार तीन सौ साठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOTER CYCLE WITH ICE BOX MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	18000 2458000	18000 2458000
2	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 290240	36000 290240
3	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 4780000	36000 4780000
4	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 4294920	36000 4294920
5	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 2412200	36000 2412200
6	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	54000 5187080	54000 5187080
7	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 951360	18000 951360
8	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 3271000	18000 3271000
9	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 354000	18000 354000
10	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 2278000	18000 2278000
11	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 12994000	18000 12994000
12	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	18000 21868280	18000 21868280
13	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	36000 3798400	36000 3798400
14	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	36000 9625800	36000 9625800
15	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	18000 2703000	18000 2703000
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 19960600	18000 19960600
17	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 4370520	18000 4370520
18	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	54000 3786000	54000 3786000
19	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 8458000	36000 8458000
20	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	36000 2400000	36000 2400000
21	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	36000 30353960	36000 30353960
22	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 5672600	18000 5672600
23	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 2526000	36000 2526000
24	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 18416000	36000 18416000
25	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 354000	18000 354000
26	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 19496880	36000 19496880
27	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 11266000	36000 11266000
28	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 12017800	36000 12017800
29	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 15876760	36000 15876760

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
30	कोशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 2173320	18000 2173320
31	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 18000	18000 18000
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 234412720	900000 234412720

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार सात सौ बीस

(पूजा समन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 002-CYCLE WITH ICE BOX MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 4816000	36000 4816000
2	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 2419400	7200 2419400
3	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400 10529400	2400 10529400
4	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 3273400	2400 3273400
5	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	7200 8141800	7200 8141800
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	2400 21870680	2400 21870680
7	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400 3800800	2400 3800800
8	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	19200 8477200	19200 8477200
9	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400 2402400	2400 2402400
10	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800 5677400	4800 5677400
11	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 3006450	2400 3006450
12	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 19499280	2400 19499280
13	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 15879160	2400 15879160
14	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 2175720	2400 2175720
15	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 1548920	12000 1548920
	योग	वर्तमान प्रगामी	108000 113518010	108000 113518010

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख आठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ पैंतीस लाख अठारह हजार दस

(पूजा ...)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 5331080	144000 5331080
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	144000 1095360	144000 1095360
3	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 3417400	144000 3417400
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	72000 21942680	72000 21942680
5	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	144000 3944800	144000 3944800
6	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72000 9697800	72000 9697800
7	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 4442520	72000 4442520
8	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 5821400	144000 5821400
9	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 2670000	144000 2670000
10	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 17015500	72000 17015500
11	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 498000	144000 498000
12	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 1692920	144000 1692920
	योग	वर्तमान प्रगामी	1440000 77569460	1440000 77569460

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार चार सौ साठ

(पूजा ...)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTER MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	480000 5811080	480000 5811080
2	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	480000 978000	480000 978000
	योग	वर्तमान प्रगामी	960000 6789080	960000 6789080

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सरसठ लाख नवासी हजार अस्सी

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KIYOSK MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	240000 1335360	240000 1335360
2	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 258000	240000 258000
	योग	वर्तमान प्रगामी	480000 1593360	480000 1593360

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख तिरानवे हजार तीन सौ साठ

(पूजा रतन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOBILE LAB MALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 5296000	840000 5296000
	योग	वर्तमान प्रगामी	840000 5296000	840000 5296000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बावन लाख छियानवे हजार

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

निजी भूमि पर तालाब निर्माण(सामान्य)

क्र0	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	
					6	7	8
1	2	3	4	5	9.544	6.363	9.544
1	आगरा	**5.681**	39.767	15.907	2.016	1.344	2.016
2	फिरोजाबाद	**1.200**	8.400	3.360	5.551	3.700	5.551
3	मैनपुरी	**3.304**	23.128	9.251	8.568	5.712	8.568
4	मथुरा'	**5.100**	35.700	14.280	3.528	2.352	3.528
5	अलीगढ	**2.100**	14.700	5.880	2.856	1.904	2.856
6	हाथरस	**1.700**	11.900	4.760	0.672	0.448	0.672
7	एटा'	**0.400**	2.800	1.120	1.092	0.728	1.092
8	कासगंज	**0.650**	4.550	1.820	3.809	2.539	3.809
9	आजमगढ	**2.267**	15.869	6.348	4.452	2.968	4.452
10	मऊ'	**2.650**	18.550	7.420	1.176	0.784	1.176
11	बलिया	**0.700**	4.900	1.960	1.260	0.840	1.260
12	प्रतापगढ	**0.750**	5.250	2.100	1.082	0.721	1.082
13	कानपुर नगर	**0.644**	4.508	1.803	5.008	3.339	5.008
14	कानपुरदेहात'	**2.981**	20.867	8.347	1.680	1.120	1.680
15	इटावा	**1.000**	7.000	2.800	2.572	1.715	2.572
16	फरूर्खाबाद	**1.531**	10.717	4.287	1.260	0.840	1.260
17	कन्नौज	**0.750**	5.250	2.100	5.880	3.920	5.880
18	गोरखपुर	**3.500**	24.500	9.800	9.408	6.272	9.408
19	महाराजगंज	**5.600**	39.200	15.680	10.777	7.185	10.777
20	देवरिया'	**6.415**	44.905	17.962	16.800	11.200	16.800
21	कुशीनगर''	**10.000**	70.000	28.000	4.200	2.800	4.200
22	बांदा	**2.500**	17.500	7.000	3.360	2.240	3.360
23	हमीरपुर	**2.000**	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
24	महोबा	**2.000**	14.000	5.600	2.016	1.344	2.016
25	झॉसी	**1.200**	8.400	3.360	1.193	0.795	1.193
26	जालौन	**0.710**	4.970	1.988	5.300	3.534	5.300
27	ललितपुर	**3.155**	22.085	8.834	10.080	6.720	10.080
28	गोण्डा	**6.000**	42.000	16.800	20.783	13.856	20.783
29	बलरामपुर	**12.371**	86.597	34.639	10.920	7.280	10.920
30	बहराइच	**6.500**	45.500	18.200	1.344	0.896	1.344
31	श्रावस्ती	**0.800**	5.600	2.240	3.874	2.583	3.874
32	अयोध्या	**2.306**	16.142	6.457	3.696	2.464	3.696
33	अम्बेडकर नगर	**2.200**	15.400	6.160	12.358	8.238	12.358
34	बाराबंकी	**7.356**	51.492	20.596	2.352	1.568	2.352
35	बदायूँ	**1.400**	9.800	3.920	1.201	0.801	1.201
36	पीलीभीत	**0.715**	5.005	2.002	2.352	1.568	2.352
37	बस्ती	**1.400**	9.800	3.920	0.637	0.424	0.637
38	सिद्दार्थनगर	**0.379**	2.653	1.061	2.957	1.971	2.957
39	मेरठ	**1.760**	12.320	4.928	0.546	0.364	0.546
40	हापुड़	**0.325**	2.275	0.910	1.680	1.120	1.680
41	बागपत	**1.000**	7.000	2.800			

क्रमशः–2

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021-22

निजी भूमि पर तालाब निर्माण(सामान्य)							
क्र0	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	बुलन्दशहर	**1.120**	7.840	3.136	1.882	1.254	1.882
43	मुरादाबाद	**0.300**	2.100	0.840	0.504	0.336	0.504
44	अमरोहा	**1.200**	8.400	3.360	2.016	1.344	2.016
45	रामपुर	**2.498**	17.486	6.994	4.196	2.798	4.196
46	बिजनौर	**0.950**	6.650	2.660	1.596	1.064	1.596
47	सभल	**0.750**	5.250	2.100	1.260	0.840	1.260
48	लखनऊ	**0.432**	3.024	1.210	0.726	0.484	0.726
49	उन्नाव	**0.925**	6.475	2.590	1.554	1.036	1.554
50	सीतापुर	**1.600**	11.200	4.480	2.688	1.792	2.688
51	हरदोई	**1.250**	8.750	3.500	2.100	1.400	2.100
52	लखीमपुरखीरी	**0.500**	3.500	1.400	0.840	0.560	0.840
53	वाराणसी	**1.600**	11.200	4.480	2.688	1.792	2.688
54	चन्दौली	**4.500**	31.500	12.600	7.560	5.040	7.560
55	गाजीपुर	**1.250**	8.750	3.500	2.100	1.400	2.100
56	जौनपुर	**2.500**	17.500	7.000	4.200	2.800	4.200
57	मिर्जापुर	**3.200**	22.400	8.960	5.376	3.584	5.376
58	सोनभद्र	**2.250**	15.750	6.300	3.780	2.520	3.780
	प्रदेश योग	**141.825**	**992.775**	**397.110**	**238.266**	**158.844**	**238.266**

(रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र)

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

क0	जनपद	खारे जल में तालाब निर्माण / **Rs.8.0 lacs/hectare**							
		सामान्य लाभार्थी							
		लाभार्थी सं0	क्षेत्रफल हे0	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	धनराशि / टी0 पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्राश
							केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	1	0.660	0.660	5.280	2.110	1.270	0.840	1.270
	प्रदेश योग	**1**	**0.660**	**0.660**	**5.280**	**2.110**	**1.270**	**0.840**	**1.27**

(रूपये एक लाख सत्ताइस हजार मात्र)

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

क्र0	जनपद	वायोफ्लाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/ 0.10hectare						
		सामान्य लाभार्थी						
		लाभार्थी सं0	क्षेत्रफल हे0	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
						केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	आजमगढ	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
2	मऊ	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
3	गोरखपुर	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
4	महाराजगंज	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
5	देवरिया	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
6	कुशीनगर	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
7	गोण्डा	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
8	बलरामपुर	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
9	बहराइच	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
10	मेरठ	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
11	बागपत	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
12	लखनऊ	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
13	अलीगढ	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
14	जौनपुर	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
15	मिर्जापुर	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	6.720
16	सोनभद्र	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
17	भदोही	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	3.360
	प्रदेश योग	**25**	**2.500**	**350.000**	**140.000**	**84.000**	**56.000**	**84.000**

(रूपये चौरासी लाख मात्र)

(8)

Large RAS

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

वृहद आर0ए0एस0 / वृहद वायोफलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बेडकर नगर	3	150.00	60.00	36.00	24.00	36.00
2	बाराबंकी	2	100.00	40.00	24.00	16.00	24.00
प्रदेश योग		**5**	**250.00**	**100.00**	**60.00**	**40.00**	**60.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

क्रमांक	जनपद	मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / Rs. 25 .0 lacs/unit					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
2	बाराबंकी	1	25.00	10.00	6.00	4.00	6.00
प्रदेश योग		**2**	**50.00**	**20.00**	**12.00**	**8.00**	**12.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

कमांक	जनपद	लघु आर0ए0एस0 वायोफलाक / **Rs. 7.50 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महाराजगंज	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.80
2	देवरिया	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.80
3	कुशीनगर	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.80
4	बुलन्दशहर	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.80
5	वाराणसी	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.80
प्रदेश योग		**5**	**37.50**	**15.00**	**9.00**	**6.00**	**9.00**

20/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

मोटर साईकिल विथ आइस बॉक्स / **Rs. 0.75 lacs/unit**

सामान्य लाभार्थी

क्रमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से केन्द्राश	कुल अनुदान में से राज्यांश	कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैनपुरी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
2	एटा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
3	कासगंज	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
4	आजमगढ	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
5	बलिया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
6	कौशाम्बी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
7	इटावा	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
8	औरैया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
9	फररूखाबाद	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
10	महाराजगंज	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
11	देवरिया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
12	कुशीनगर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
13	बांदा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
14	चित्रकूट	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
15	हमीरपुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
16	महोबा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
17	झाँसी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
18	ललितपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
19	बलरामपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
20	बहराइच	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
21	अयोध्या	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
22	अम्बेडकर नगर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
23	बाराबंकी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
24	बस्ती	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
25	बागपत	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
26	रामपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
27	लखनऊ	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
28	सीतापुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
29	हरदोई	3	2.250	0.900	0.540	0.360	0.540
30	लखीमपुरखीरी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
31	वाराणसी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
32	चन्दौली	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
33	मिर्जापुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.180
	प्रदेश योग	50	**37.500**	**15.000**	**9.000**	**6.000**	**9.000**

20/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

क्रमांक	जनपद	साईकिल विथ आइस बॉक्स / Rs. 0.10 lacs/unit					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
2	कासगंज	15	1.500	0.600	0.360	0.240	0.360
3	प्रयागराज	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
4	कौशम्बी	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
5	फर्रूखाबाद	3	0.300	0.120	0.072	0.048	0.072
6	देवरिया	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
7	कुशीनगर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
8	हमीरपुर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
9	बलरामपुर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
10	बहराइच	2	0.200	0.080	0.048	0.032	0.048
11	श्रावस्ती	5	0.500	0.200	0.120	0.080	0.120
12	अयोध्या	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
13	बस्ती	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.024
14	लखीमपुरखीरी	8	0.800	0.320	0.192	0.128	0.192
15	जौनपुर	3	0.300	0.120	0.072	0.048	0.072
प्रदेश योग		**45**	**4.500**	**1.800**	**1.080**	**0.720**	**1.080**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
		थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स / **Rs. 3.0 lacs/unit cost**					
		सामान्य लाभार्थी					
कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.72
2	मऊ	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.72
3	इटावा	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
4	देवरिया	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0:72
5	हमीरपुर	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
6	महोबा	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
7	झॉसी	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
8	ललितपुर	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
9	बहराइच	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
10	श्रावस्ती	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
11	बस्ती	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.44
12	सीतापुर	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.72
प्रदेश योग		20	**60.00**	**24.00**	**14.40**	**9.60**	**14.40**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर / **Rs. 20.00 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	महोबा	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80
2	इटावा	1	20.00	8.00	4.80	3.20	4.80
प्रदेश योग		**2**	**40.00**	**16.00**	**9.60**	**6.40**	**9.60**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	कियोस्क / **Rs. 10.00 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकूट	1	10.00	4.00	2.40	1.60	2.40
2	झॉसी	1	10.00	4.00	2.40	1.60	2.40
प्रदेश योग		**2**	**20.00**	**8.00**	**4.80**	**3.20**	**4.80**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

कमांक	जनपद	मोवाइल लैब / **Rs. 35.00 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	1	**35.00**	**14.00**	**8.40**	**5.60**	**8.40**

28/01/2022

संख्याः 1 /2022/03/2022-17-1002(002)/3/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

(9) JDF/DD(P) (3) DDCP

31-01-2022 (... प्रसाद) उ0 नि0 म0 (मु0)

01-02-22 राजेन्द्र सिंह संयुक्त निदेशक मत्स्य

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः28 जनवरी, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-17 में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 04 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष +महिला) वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश रू0 851.50 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 14410.97 लाख के अन्तर्गत रू0 753.02 लाख (केन्द्रांश रू0 451.81 लाख + मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक W-1011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अनुमोदित कुल केन्द्रांश रू0 3224.05 (रू0 1710.84+1513.21) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 851.50 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-1011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वारा प्रदान किये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य वर्ग में सामान्य पुरूष हेतु 53.06 प्रतिशत एवं महिला वर्ग हेतु 46.94 प्रतिशत की धनराशि मात्राकृत है। तदनुसार पत्र दिनांक 30.09.2021 द्वारा साामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 851.50 लाख में से सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 451.81 लाख (53.06 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू0 399.69 लाख (46.94 प्रतिशत) की केन्द्रांश धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत पुरूष वर्ग हेतु कुल रू0 14410.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2/2/2022

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य पुरूष वर्ग हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष, वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत मात्र केन्दांश धनराशि रू0 451.81 लाख (रू0 चार करोड इक्यावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 12 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण व फन्डिगपैटर्न (के024+ रा016+पु0ला0-60, के0 +रा0)	इकाई (हे0/सं0)	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्दांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नये तालाबों का निर्माण	168.00	7.00	1176.00	282.24	188.16	705.60	238.27	238.27
2	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	5.00	8.00	40.00	9.60	6.40	24.00	1.27	1.27
3	मीठे जल में बायोफ्लाक तालाबों का निर्माण	160.00	14.00	2240.00	537.60	358.40	1344.00	84.00	84.00
4	वृहद आर0ए0एस0/बायोफ्लाक का निर्माण	8	50.00	400.00	96.00	64.00	240.00	60.00	60.00
5	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	56	25.00	1400.00	336.00	224.00	840.00	12.00	12.00
6	लघु आर0ए0एस0/बायोफ्लाक का निर्माण	25	7.50	187.50	45.00	30.00	112.50	9.00	9.00
7	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	74	0.75	55.50	13.32	8.88	33.30	9.00	9.00
8	साइकिल विद आइसबाक्स	45	0.10	4.50	1.08	0.72	2.70	1.08	1.08
9	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स	33	3.00	99.00	23.76	15.84	59.40	14.40	14.40
10	जीवित मत्स्य विक्रय केद्र	8	20.00	160.00	38.40	25.60	96.00	9.60	9.60
11	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	8	10.00	80.00	19.20	12.80	48.00	4.80	4.80
12	मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब/ क्लीनिक	1	35.00	35.00	8.40	5.60	21.00	8.40	8.40
							कुल योग	**451.81**	**451.81**

(रू0 चार करोड इक्यावन लाख इक्यासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)-(के0 24/ रा0 16/ पुरूष लाभार्थी-60, के0+रा0) 20-सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या-ई-1-3506-दस-2021-2022 दिनांक-27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
(कृपा शंकर यादव)
Date: 28-01-2022 11:41:45
Reason: Approved

संख्या- 2 /2022/03(1)/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।